

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 197/2019

हाउसिंग डवलपमेंट फाईनेन्स कोरपोरेशन लि० (एच.डी.एफ.सी लि०)
पंजीकृत कार्यालय रेमन हाउस, एच टी पारेख मार्ग,
169, बैकवे रिकलेमेयशन चर्चगेट, मुम्बई 400020,
शाखा कार्यालय एच डी एफ सी लि०,
सी-25 भगवन्त दास रोड, सेन्ट जेवियर स्कूल के सामने,
सी-स्कीम जयपुर

.....प्रार्थी

बनाम

- (1) श्री भँवर सिंह पुत्र श्री झंवर सिंह,
निवासी:- ई-279, अभिलाषा होम्स-॥, सुशान्त सिटी-॥ (ब्लॉक ई एण्ड एफ)
गांव गेगल एवं चांदियावास, जिला अजमेर-305023
दुसरा पता:- 285, मालियों की ढाणी, गांधी नगर, किशनगढ, जिला अजमेर-305801
- (2) श्रीमती बबलेश कंवर पत्नि श्री भँवर सिंह,
निवासी:- ई-279, अभिलाषा होम्स-॥, सुशान्त सिटी-॥ (ब्लॉक ई एण्ड एफ)
गांव गेगल एवं चांदियावास, जिला अजमेर-305023
दुसरा पता:- 285, मालियों की ढाणी, गांधी नगर, किशनगढ, जिला अजमेर-305801

.....अप्रार्थीगण (ऋणी)

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरिटी ऐनफोर्समेन्ट आफ
आफ फाईनेन्शियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ
सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :-

श्री योगेन्द्र सिंह

अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक 18.11.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण श्री भँवर सिंह पुत्र श्री झंवर सिंह एवं श्रीमती बबलेश कंवर पत्नि श्री भँवर सिंह, निवासी:- ई-279, अभिलाषा होम्स-॥, सुशान्त सिटी-॥ ब्लॉक ई एण्ड एफ, गांव गेगल एवं चांदियावास, जिला अजमेर-305023(राज.) को दिनांक 25.06.2016 को रूपये 8,00,000/- (अक्षरे आठ लाख) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण/ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर गांव गेगल एवं चांदियावास, अजमेर (राज.) स्थित अंशल सुशान्त सिटी के अभिलाषा होम्स-॥ के ब्लॉक ई, विला नं. ई-0279 की भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग हैं, कुल क्षेत्रफल 106.43 वर्ग मीटर, जिसमें 492.05 वर्गफुट बिल्ट अप एरिया है, जो कि श्रीमती बबलेश कंवर पत्नि श्री भँवर सिंह के नाम से है। जिसकी चतुर्थ सीमाएँ हैं:- पूर्व में:- विला नं० ई-0244, पश्चिम में:- 9 मीटर रोड, उत्तर में:- 9 मीटर रोड, दक्षिण में:- विला नं० ई-0278, को बतौर जमानत प्रार्थी कम्पनी के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 31.03.2017 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी



W. Sharma
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण/ऋणी को दिनांक 21.06.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये 9,14,005/- (अक्षरे नौ लाख चोदह हजार पांच रूपये) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी कम्पनी को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी कम्पनी को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पत्ति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी कम्पनी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में बंधक सम्पत्ति, गांव गोगल एवं चांदियावास, अजमेर (राज.) स्थित अंशल सुशान्त सिटी के अभिलाषा होम्स-11 के ब्लॉक ई, विला नं. ई-0279 की भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, कुल क्षेत्रफल 106.43 वर्ग मीटर, जिसमें 492.05 वर्गफुट बिल्ट अप एरिया है, जो कि श्रीमती बबलेश कंवर पत्नि श्री भंवर सिंह के नाम से है। जिसकी चतुर्थ सीमाएँ है:- पूर्व में:- विला नं0 ई-0244, पश्चिम में:- 9 मीटर रोड, उत्तर में:- 9 मीटर रोड, दक्षिण में:- विला नं0 ई-0278, का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित कम्पनी द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी कम्पनी, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्त कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 18.11.2019 को सुनाया गया।

At Sharma

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

